

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु. नं. 19 सन् 2019

हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

तारीख हुक्म

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

08.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व बज्जू से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिव हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का मगनवाला ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक बरसलपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बज्जू की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 9 बी एस एम तहसील बज्जू व जिला बीकानेर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	9 बी एस एम		शीशपाल पुत्र चेतनाराम जाति जाट सा. 9 बी एस एम तहसील कोलायत खातेदार ई. सं. 99/24.10.13	शीशपाल पुत्र चेतनाराम जाति जाट सा. 9 बी एस एम तहसील कोलायत खातेदार ई. सं. 99/24.10.13 रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा बरसलपुर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22/01/19

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत